न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 78/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. कमलाबाई पत्नी स्वर्गीय पन्नालाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुन्दरबाई पत्नी प्रकाश जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. कन्हैयालाल सेन पिता पन्नालाल जी सेन, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. लक्ष्मीलाल पिता मोतीलाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. पताशीबाई पत्नी लक्ष्मीलाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रकाश पिता मोतीलाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी स्वर्गीय प्रकाश जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. पुष्कर पिता स्वर्गीय प्रकाश जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. मोहन पिता स्वर्गीय प्रकाश जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. मनीष पिता स्वर्गीय प्रकाश जी नाबालिग जरिये बविलायत माता श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी स्वर्गीय प्रकाश जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. सुश्री पायल पुत्री स्वर्गीय प्रकाश जी नाबालिग जरिये बविलायत माता श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी स्वर्गीय प्रकाश जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. हीरा पिता मोतीलाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती दुर्गा पत्नी स्वर्गीय हीरालाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. रेखा पुत्री स्वर्गीय हीरालाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. विनोद पिता स्वर्गीय हीरालाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

2/4. सुश्री चन्दा स्वर्गीय हीरालाल जी नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती दुर्गा पत्नी स्वर्गीय हीरालाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2/5. सुश्री खुशी स्वर्गीय हीरालाल जी नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती दुर्गा पत्नी स्वर्गीय हीरालाल जी, जाति नाई, निवासी गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्रीमती हीरा कंवर पत्नी किशनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी जसपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4. सूरज कुंवर पत्नी माधुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी जसपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. पुष्पा कुंवर पत्नी विजयसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी जसपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. सज्जन कुंवर पत्नी शंकरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी जसपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक
23.06.2015, प्रकरण संख्या 87/2013

———/———

उपस्थित :– 1– श्री दिनेश वसीटा अभिभाषक अपीलान्ट संख्या 1, 2
2– श्री ललित जैन अभिभाषक अपीलान्ट संख्या 3, 4, 5
3– श्री अभिमन्यु जाट अभि.रे.सं. 1/1 से 1/5, 2/1 से 2/5
4– श्री अरूण जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6
5– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 7

———::———

निर्णय दिनांक 20–06–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जसपुरा, पटवार हल्का गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर में वाद पत्र की परिशिष्ट ''ए'' की आराजी नंबर 144/1 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मण, प्रकाश पिता मोती 74/296 हि.ब., हीरा पिता मोती 17/296, पताशी पत्नी लक्ष्मण, सुन्दरबाई पत्नी प्रकाश 20/296, कन्हैयालाल पिता पन्नालाल, मु. कमला बेवा पन्नालाल 3[illegible] हीरा कुंवर पत्नी किशनसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

40/296, सूरज कुंवर पत्नी माधुसिंह 60/296, पुष्पा कुंवर पत्नी विजयसिंह, सज्जन कुंवर पत्नी शंकरसिंह 48/296 हि.ब. दर्ज है।

परिशिष्ट ''बी'' की आराजी नंबर 145 रकबा 2 बीघा 12 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मण, हीरालाल, प्रकाश पिता मोती 3/8 हि.ब., कन्हैयालाल पिता पन्नालाल, मु. कमला बेवा पन्नालाल 1/8, पुष्पा कुंवर पत्नी विजयसिंह, सज्जन कुंवर पत्नी शंकरसिंह 1/2 हि.ब. दर्ज है।

इसी प्रकार परिशिष्ट ''सी'' की आराजी नंबर 1/4 रकबा 1 बीघा राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मण, हीरालाल, प्रकाश पिता मोती 3/8 हि.ब., कन्हैयालाल पिता पन्नालाल, मु. कमला बेवा पन्नालाल 1/8, पुष्पा कुंवर पत्नी विजयसिंह, सज्जन कुंवर पत्नी शंकरसिंह 1/2 हि.ब. दर्ज है।

उपरोक्त आराजियात पक्षकारान की अविभाजित भूमि है, जिसका अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर पक्षकारान कमी बेशी रकबे पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से विकास के में दिक्कत आती है तथा पक्षकारों में विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–06–2015 से वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–09–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 व 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण जैन उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को

उक्त निर्णय व डिक्री की पूर्व में जानकारी नहीं थी। दिनांक 24–08–2021 को जब प्रत्यर्थीगण मौके पर आये एवं रास्ता निकालने का प्रयास किया तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, जिस पर दिनांक 25–08–2021 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं इसके लिए देरी के जो कारण अपीलान्टगण ने बताये हैं वह 6 वर्ष के विलम्ब हेतु न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत है, क्योंकि पत्रावली का यदि परिशीलन किया जावे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त आदेश सभी पक्षों के राजीनामें के आधार पर किया गया है, किन्तु यदि दिनांक 23–06–2015 की आदेशिका का अवलोकन करें तो आदेशिका पर मात्र दो पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं, जबकि प्रकरण में 12 पक्षकार हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोक अदालतों में निर्णय केवल सभी पक्षों के राजीनामें के आधार पर ही किये जाते हैं, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं हुई है। नक्शे एवं बंटवारा पर्चे में मनमाफिक दिनांक अंकित कर बिना किसी आधार के अंतिम डिक्री जारी की गयी है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि फर्द अपीलान्ट संख्या 4 व 5 के नाम फर्द बंटवारे में आराजी नंबर 144/5 व 144/8 रखा जाना अंकित है, किन्तु अंतिम डिक्री जारी करने समय मात्र आराजी नंबर 144/5 ही अपीलान्ट संख्या 4 व 5 के पक्ष में रखा गया है, आराजी नंबर 144/8 के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंकन अंतिम डिक्री में नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया एवं अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो फर्द बंटवारा संलग्न है, उसमें प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण एवं प्रतिवादी संख्या 4 पताशीबाई (अपीलान्ट संख्या 4 व 5) के नाम आराजी नंबर 144/5 व 144/8 रखे जाने का अंकन है, किन्तु उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उसमें प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण एवं प्रतिवादी संख्या 4 को मात्र आराजी नंबर 144/5 ही दी गयी है, आराजी नंबर 144/8 के बारे में कोई अंकन नहीं किया गया है तथा न ही आराजी नंबर 144/8 किसी अन्य पक्षकार के हिस्से में रखा गया है। इससे प्रकट होता है कि अंतिम डिक्री जारी करते समय सहवन से आराजी नंबर 144/8 प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण एवं प्रतिवादी संख्या 4 पताशीबाई के पक्ष में अंकित करना रह गया है, जो एक मानवीय भूल होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री में आंशिक संशोधन किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26–05–2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर फर्द बंटवारे अनुसार आराजी नंबर 144/8 प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण एवं प्रतिवादी संख्या 4 पताशीबाई (अपीलान्ट संख्या 4 व 5) के पक्ष में रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती कमलाबाई पत्नी पन्नालाल नाई *बनाम* मृतक प्रकाश के बजाय श्रीमती सुन्दरबाई
निवासी गूपडी, तहसील वल्लभनगर, निवासी गूपडी, तहसील वल्लभनगर,
जिला उदयपुर व अन्य जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.......78/2021............व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
......वल्लभनगर........... मुकाम.............मुवर्खे.............26..............माह..............05............2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........20....माह........06....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी..श्री दिनेश वसीटा/ललित जैन..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री अभिमन्यु जाट/अरूण जैन

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26–05–2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर फर्द बंटवारे अनुसार आराजी नंबर 144/8 प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण एवं प्रतिवादी संख्या 4 पताशीबाई (अपीलान्ट संख्या 4 व 5) के पक्ष में रखे जाने का आदेश दिया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......20.......माह.......06..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर [illegible] डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:41:34 IST
Reason: SelfAttested